**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा**

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 105/2021

| **वादी** | **बनाम** | **प्रतिवादीगण** |
|---|---|---|
| सम्पतराम | | कल्याण व अन्य |

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

**उपस्थिति** :– वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी, एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 23/2/2022

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता का इस आधार पेश किया है कि वादी ने ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित सयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2191/4139, 2192/1439, 2196/1442, 2197/1442, 2202/1442 कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.5174 हैक्टेयर जिसके खाता संख्या 1253 व खसरा नम्बर 2199/1437 रकबा 5.6306 हैक्टेयर जिसके खाता संख्या 1254 है खसरा नम्बर 2193/1439 रकबा 1.4319 हैक्टेयर जिसके खाता संख्या 1337 है के बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है। उपरोक्त सयुक्त खातेदारी की भूमि का राजस्व वाद संख्या 20/2018 अनवान बंशीलाल बनाम प्रकाशराम वगैरा धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट का माननीय न्यायालय हाजा बिलाड़ा में इन्ही पक्षकारों के बीच में चला था जिसका प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.03.2019 को हुई है। प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश होने के बाद अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2019 को न्यायालय हाजा द्वारा जारी की गई। जिसकी अपील संख्या 61/2020 अनवान प्रकाशराम बनाम बंशीलाल वगैरा धारा 223 आर.टी.एक्ट के तहत न्यायालय श्री राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। अपीलाण्ट ने उक्त अपील दिनांक 27.08.2021 को विड्रो का प्रार्थना पत्र पेश करने पर न्यायालय द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी गई। उक्त अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2019 एवं अपील संख्या 61/2020 खारिज होने के बाद अब इस भूमि बाबत् कोई अपील/रिवीजन/रिट इत्यादि विचाराधीन नही है। माननीय न्यायालय द्वारा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उक्त प्रकरण अंतिम रूप से सुना एवं अन्तिम विनिश्चय किया जा चुका है। उक्त सम्पति बाबत् कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नही करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले इन्ही पक्षकारों के बीच पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है विचारण करने में सक्षम था। उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.07.2019 को होकर बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 20/2018 पूर्व में निर्णित इन्ही पक्षकारों के बीच में हो चुका है। अब किसी भी न्यायालय में उक्त भूमि बाबत् कोई मामला विचाराधीन नही है इस कारण उक्त वाद अब पूर्व न्याय (रेस जुडिकेटा) के सिद्धान्त से बाधित है। वादी पूर्व के निर्णित वाद के बारे में तथ्य छुपाने का दोषी है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद भारी हर्जे खर्चे से खारिज फरमावे।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही बहस में भाग लिया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा पूर्व वाद संख्या 20/2018 में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 29.07.2019 द्वारा उक्त प्रकरण के पक्षकारों के मध्य किया जा चुका है। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में पूर्व वाद बंशीलाल द्वारा पेश किया तथा पूर्व वाद में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 29.07.2019 द्वारा बंशीलाल के ही हिस्से का बंटवाडा किया गया। वादी सम्पतराम पूर्व वाद में प्रतिवादी था तथा उसके द्वारा न तो पूर्व वाद पेश किया व न ही पूर्व वाद में कोई काउण्टर वाद पेश किया तथा न ही वादी के वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित हिस्से का पूर्व वाद में कोई बंटवाडा किया गया। इसलिए धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान प्रस्तुत वाद में लागू नही होते है। वादी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त ''आर.आर.डी. 1996 पेज 306, आर.बी.जे. (22) 2015 पेज संख्या 306, आर.बी. जे. 2018 पेज संख्या 1 पेश किये।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण की बहस व वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में पूर्व वाद संख्या 20/2018 बंशीलाल द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित अपने 1/6 हिस्से के सम्बंध में बंटवाड़ा हेतु पेश किया था। जिसमें वादी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार था तथा वादी द्वारा पूर्व वाद में बंटवाड़ा हेतु कोई काउण्टर वाद पेश नही किया। पूर्व वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित बंशीलाल के 1/6 हिस्से का ही बंटवाड़ा किया गया। वादी सम्पतराम के हिस्से का पूर्व वाद में कोई बंटवाडा नही किया गया, जो वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत चालु जमाबन्दी व राजस्व नक्शे से स्पष्ट है। इसलिए प्रस्तुत वाद के सम्बंध में धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागु नही होते है।

अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी. पी.सी. खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दावा हेतु आयन्दा दिनांक 15/3/2022 को पेश हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा